भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 766481

ट्रस्ट – डीड

यह ट्रस्ट – डीड आज दिनांक 03 जून 2009 को श्री अजीत कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश निवासी ग्राम – भराला, पोस्ट – दौराला, जिला – मेरठ व श्री अनुज विहान पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार निवासी ग्राम – भराला, पोस्ट – दौराला, जिला – मेरठ के हैं जिन्हें आगे व्यवस्थापक कहा गया है, के द्वारा निष्पादित की जाती है।

व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये यह ट्रस्ट स्थापित की गयी है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशी अंकन 10000/- रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं उन्होंने शिक्षा व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये उक्त राशी अंकन 10,000/- रूपये नगद ट्रस्ट को हस्तान्तरित कर दी है। उक्त व्यवस्थापक ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार करते हैं और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। उक्त व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :-

1. ट्रस्ट का नाम श्री वेद – धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट (Shri Ved-Dharam Charitable Trust) होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय B-132, पल्लवपुरम फेस-I, मेरठ पर होगा, परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।

Manager
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

INDIA NON JUDICIAL

पचास रुपये FIFTY RUPEES ₹.50 Rs.50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH N 163324

3. यह कि उक्त ट्रस्टीगण उक्त राशी अंकन 10,000/- रुपये तथा उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशी, निवेश, धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो को धारण करेंगे तथा ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

4. यह कि उक्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को आगे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

1. इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना व संचालन करना।
2. डेन्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।
3. स्कूल कॉलेज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

Manager
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

MANAGER
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

पचास रुपये ₹50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

N 163323

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के लिये छात्रवृत्ति, सहायता आदि प्रदान करना।
6. अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
7. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।
8. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
9. स्कूल व कॉलेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
10. शैक्षिक किताबों/पेपर का प्रकाशन करना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करना।
12. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।
13. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

7. यह कि न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Manager
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

PRINCIPAL
...ternational School
...Roorkee Road, Meerut

MANAGER
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut.

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये Rs.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 998633

8. यहकि ट्रस्ट के आधीन संचालित विद्यालय संस्था का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. यहकि ट्रस्ट के आधीन संचालित विद्यालय संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अर्न्तगत विभिन्न वर्गो के छात्रो को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10. यहकि उक्त धारा 1 ता 9 की शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। शेष सभी नियम उपनियम एंव शर्ते पूर्व में निष्पादित न्यास पत्र दिनांक 3-06-2009 ई0 को निष्पादित होकर उसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 जिल्द 289 के सफे 175/178 में नं0 107 पर दफतर सब रजिस्ट्रार मेरठ द्वितीय हुई, व पूरक विलेख दिनांक 30-08-2011 ई0 को निष्पादित होकर उसकी रजिस्ट्री दिनांक 7-09-2011 को बही नं0 4 जिल्द 308 के सफे 11/20 में नं0 220 पर दफतर सब रजिस्ट्रार मेरठ द्वितीय हुई, के अनुसार रहेंगी तथा यह पूरक विलेख उनका अंश रहेगा तथा उनके साथ पढ़ा व सुना जावेगा।

11. यहकि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियो/परिस्थितयों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ

PRINCIPAL
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

Manager
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

MANAGER
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये Rs.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5)

Z 896922

हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा। अतः यह पूरक विलेख पूर्व में निष्पादित न्यास पत्र दिनांक 3-06-2009 ई0, को निष्पादित होकर उसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 जिल्द 289 के सफे 175/178 में नं0 107 पर दफतर सब रजिस्ट्रार मेरठ द्वितीय हुई, व पूरक विलेख दिनांक 30-08-2011 ई0 को निष्पादित होकर उसकी रजिस्ट्री दिनांक 7-09-2011 को बही नं0 4 जिल्द 308 के सफे 11/20 में नं0 220 पर दफतर सब रजिस्ट्रार मेरठ द्वितीय हुई, का लिख दिया कि प्रमाणित एंव उपयोगी हो। इति।।

गवाह

PRINCIPAL
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

कुमार
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, मेरठ

गवाह

Manager
Ved International School
Siwaya, Roorkee Road, Meerut

दस्तावेज लेखक
सिविल कोर्ट

तहरीर तारीखः-14-11-2011ई0मसविदा पवन कुमार गर्ग, दस्तावेज लेखक,मेरठ

Scanned with CamScanner